

प्राचीनकाल में मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित होने के कारण वह अपनी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं ही कर लेता था, लेकिन सभ्यता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ निरन्तर बढ़ती गयीं एवं इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करना मुश्किल होने लगा।

वर्तमान समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं उत्पादन करने की कल्पना मात्र भी नहीं कर सकता। आज के युग में प्रत्येक वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अनुकूल परिस्थिति, श्रम पूँजी, ज्ञान व संसाधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है, जोकि एक देश में संयुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हो सकते।

श्रम विभाजन के युग में प्रत्येक व्यक्ति ने एक धंधे विशेष को अपना लिया एवं अपनी निर्मित वस्तुएँ दूसरों को देता है तथा बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ या मुद्रा विनिमय को ग्रहण करता है। आज का युग औद्योगिक क्रांति, संचार एवं व्यावसायिक युग है। आज प्रत्येक व्यक्ति एवं देश को 'विनिमय' की क्रिया अपनानी पड़ती है।

विनिमय का अर्थ, "दो या दो से अधिक पक्षों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐच्छिक एवं वैधानिक आदान-प्रदान से होता है।"

विनिमय को प्रमुख रूप से दो भागों में बाँटते हैं—

(अ) **अदल-बदल अर्थात् वस्तु-विनिमय (Barter)**—जिस प्रणाली में व्यक्ति एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को स्वीकार करता है उसे अदल-बदल या वस्तु-विनिमय कहते हैं।

जैसे—चीनी के बदले कपड़े, गेहूँ के बदले बर्तन लेना इत्यादि।

(ब) **मुद्रा-विनिमय (Money Exchange)**—वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय का ही प्रचलन है। यह विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है, वस्तु की कीमत मुद्रा के रूप में तय होती है। मुद्रा देकर वस्तुएँ एवं सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। जैसे—यात्रा करते समय बस का किराया, वाशिंग मशीन का भुगतान मुद्रा विनिमय से इत्यादि।

व्यवसाय का अर्थ (Meaning of Business)—दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य हुआ विनिमय या क्रय-विक्रय जो लाभ के उद्देश्य से किया गया हो अर्थात् लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया विनिमय व्यापार कहलाता है।

विस्तृत अर्थ में, "वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन से लेकर वितरण तक जो भी आर्थिक क्रियाएँ सम्पादित होती हैं, व्यवसाय कहलाता है।"

व्यवसाय/व्यापार का वर्गीकरण

(CLASSIFICATION OF BUSINESS/TRADE)

व्यवसाय



घरेलू व्यवसाय/आन्तरिक व्यवसाय

विदेशी व्यवसाय/अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय



(अ) स्थानीय व्यवसाय (Local Business)

(अ) आयात व्यवसाय (Import Business)

(ब) क्षेत्रीय व्यवसाय (Regional Business)

(ब) निर्यात व्यवसाय (Export Business)

(स) अन्तर्क्षेत्रीय व्यवसाय (Inter Regional Business)

(स) पुनर्निर्यात व्यवसाय (Re-export Business)

(ii) क्षेत्रीय व्यवसाय (Regional Business)—यह व्यापार एक ही प्रान्त या क्षेत्र की सीमा में किया जाता है।


(iii) अन्तर्क्षेत्रीय व्यवसाय (Inter Regional Business)—यह व्यापार राज्यों के बीच किया जाता है। उदाहरण—राजस्थान व आगरा के बीच विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं।

(ब) अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का अर्थ (Meaning of International Business)—दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच वस्तुओं व सेवाओं का क्रय-विक्रय तथा आदान-प्रदान ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहलाता है। जब वस्तुओं व सेवाओं का लेन-देन एक देश की सीमा में होता है तो उसे आन्तरिक व्यापार कहते हैं। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान-प्रदान दो या दो से अधिक 'राष्ट्रों' के बीच होता है तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय/व्यापार के प्रकार (TYPES OF INTERNATIONAL BUSINESS/TRADE)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के निम्नलिखित प्रकार हैं—

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय



(i) आयात व्यापार (Import Trade)—जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारियों से माल क्रय करता है तब ऐसा व्यापार माल क्रय करने वाले देश के लिए आयात व्यापार होता है।

(ii) निर्यात व्यापार (Export Trade)—जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो ऐसा व्यापार माल का विक्रय करने वाले देश के लिए निर्यात व्यापार होता है।

(iii) पुनर्निर्यात व्यापार (Entrepot Trade)—ऐसा व्यापार जिसमें विदेशों से माल का आयात उसी माल को दूसरे देशों को निर्यात करने के लिए किया जाता है तो इसे पुनर्निर्यात व्यापार कहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की परिभाषाएँ (Definitions of International Business)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को कुछ विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है—

- सी. एफ. स्टेनलेक के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय है।”
- पी. टी. एल्सवर्थ के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है जो राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाता है।”
- ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार, “राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य विनिमय को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।”
- प्रो. हैराल्ड के अनुसार, “विदेशी व्यापार का उदय तब होता है जब श्रम-विभाजन राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर आगे बढ़ाया जाता है।”

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि देश की सीमाओं के भीतर होने वाला व्यापार राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है तथा देश की सीमाओं के विभिन्न देशों के बीच होने वाला व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी व्यापार कहलाता है। विदेशी व्यापार एक देश का दूसरे देश के साथ लाभ के सिद्धान्त पर आधारित होता है।

घरेलू/अन्तर्क्षेत्रीय व्यवसाय बनाम अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी व्यवसाय
(DOMESTIC/INTER-REGIONAL BUSINESS V/S INTERNATIONAL BUSINESS)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार वह व्यापार है, जो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होता है। इसके विपरीत, आन्तरिक व्यापार वह व्यापार है, जो एक ही देश में रहने वाले लोगों के बीच किया जाता है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अन्तर-राजनीतिक सीमाओं पर आधारित है। कारण यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एक देश की राजनीतिक सीमा को पार कर जाता है, जबकि आन्तरिक व्यापार में ऐसा नहीं होता।

आन्तरिक/घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/व्यवसाय में समानताएँ
(SIMILARITIES BETWEEN INTERNAL/DOMESTIC AND INTERNATIONAL TRADE/
BUSINESS)

आन्तरिक/घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार/व्यवसाय के मध्य निम्नलिखित समानताएँ हैं—

(1) **वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय (Exchange of Goods and Services)**—आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के व्यापारों में वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय होता है। मुद्रा तो केवल माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय सरल हो गया है।

(2) **ऐच्छिक सौदा (Optional Transaction)**—व्यापार हमेशा ही ऐच्छिक होता है, चाहे वह आन्तरिक व्यापार हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार। सरकार चाहे तो कुछ वस्तुओं के व्यापार को निषेध कर सकती है अथवा किसी विशेष प्रकार का प्रतिबन्ध लगा सकती है, परन्तु वह व्यापारियों को किसी प्रकार की वस्तु खरीदने के लिए विवश नहीं कर सकती। लोग विदेशी वस्तुएँ तभी खरीदते हैं, जबकि उनमें इसके लिए इच्छा होती है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी आन्तरिक व्यापार की भाँति ऐच्छिक सौदों के द्वारा ही उत्पन्न होता है।

(3) **दो पक्ष (Two Parties)**—अन्तर्राष्ट्रीय एवं आन्तरिक दोनों ही व्यापारों में दो पक्ष होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ये पक्ष—राष्ट्र होते हैं, जबकि आन्तरिक व्यापार में ये पक्ष—व्यक्ति होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भी ये पक्ष—व्यक्ति हो सकते हैं, परन्तु ये अलग-अलग राष्ट्रों में रहते हैं। इसी प्रकार, जब सरकार स्वयं वस्तुओं का आयात अथवा निर्यात करती है, तो ऐसे समय में यह भी व्यापारी की तरह कार्य करती है।

(4) **विशिष्टीकरण (Specialisation)**—आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विशिष्टीकरण है जो श्रम विभाजन का परिणाम है। एक देश में जब एक राज्य किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेता है, तो देश के अन्य राज्य उस वस्तु का उत्पादन न करके उसी राज्य से उस वस्तु को खरीद लेते हैं।

इसी कारण विभिन्न देश जब किसी वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ से वह वस्तु अन्य देशों को जाने लगती है।

(5) **लागत (Cost)**—आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों का उद्देश्य कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन करना है।

(6) **दोनों पक्षों को लाभ (Benefit to both Parties)**—अन्तर्राष्ट्रीय व आन्तरिक दोनों ही व्यापारों में दोनों को लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दोनों ही राष्ट्र अथवा पक्ष अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करते हैं और दूसरे की आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात करते हैं।

(7) **सामाजिक एवं राजनीतिक सम्बन्ध (Social and Political Relation)**—एक ही देश में जब विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारी व्यापार करते हैं, तो उनमें सामाजिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बनते हैं, ऐसा ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण भी जब दो देश एक-दूसरे के समीप आते हैं, तो उनमें भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध बनते हैं। कई उदाहरण तो ऐसे मिलते हैं, जिनमें व्यापारिक सम्बन्ध होने पर स्वतः ही राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गये हैं। भारत और ताइवान का उदाहरण इसी प्रकार का है।

संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। इसलिए ओहलिन के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का एक विशिष्ट रूप मात्र है।”

2020-3-26 11:39

घरेलू/अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार बनाम अन्तर्राष्ट्रीय/विदेशी व्यापार में असमानताएँ

(DIS-SIMILARITIES BETWEEN DOMESTIC/INTER REGIONAL TRADE V/S INTERNATIONAL TRADE)

बहुत-से अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, आन्तरिक व्यापार का ही एक वृहद् रूप है। दोनों प्रकार के व्यापारों का आधार श्रम-विभाजन है और दोनों में श्रम विभाजन के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से अधिकतम सन्तुष्टि का लक्ष्य होता है। कुछ अर्थशास्त्री आन्तरिक व अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्तर का मुख्य आधार विभिन्न देशों की मुद्राओं को मानते हैं तो कुछ अर्थशास्त्री उत्पादन के विभिन्न साधनों यथा—भूमि, श्रम, पूँजी आदि के स्वरूप में 'अन्तर को असमानता' का पर्याप्त कारण मानते हैं। प्रो. किंडल बर्गर के अनुसार विभेदक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) साधनों की गतिशीलता का अभाव (Lack of Mobility of Factors)—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता का प्रमुख कारण उत्पादन के साधनों का विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अगतिशील होना है। उत्पादन के साधन एक देश से दूसरे देश को जाने की अपेक्षा एक देश में ही एक भाग से दूसरे भाग को अधिक सुगमता से आ-जा सकते हैं, परन्तु विभिन्न राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के साधनों में गतिशीलता में अनेक बाधाएँ रहती हैं। भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति आदि की भिन्नताओं के कारण दो राष्ट्रों के मध्य उत्पादन के साधन गतिशील नहीं होते और गतिशीलता के अभाव में इनकी कीमतें भी असमान रहती हैं। इस प्रकार आन्तरिक व्यापार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से भिन्न होता है।

(2) भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय नीतियाँ (Different National Policies)—प्रत्येक देश अपनी आन्तरिक व्यवस्था में दूसरे देश का हस्तक्षेप पसन्द नहीं करता और अपनी राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी राष्ट्रीय नीतियाँ निर्धारित करता है। राष्ट्रीय नीतियों के क्षेत्र में सार्वजनिक ऋण व्यवस्था, बैंकिंग-नीति, करारोपण, आयात-निर्यात शुल्क, सामाजिक बीमा, मजदूरी का नियम, शिक्षा, स्वास्थ्य, विनिमय व मौद्रिक नीतियाँ आती हैं। साधारणतया एक देश के विभिन्न राज्यों में ये नीतियाँ समान होती हैं, जबकि दो देशों के बीच अलग-अलग।

(3) बाजारों की पृथक्ता (Separation of Markets)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच भौगोलिक दूरी के अतिरिक्त भाषा, रीति-रिवाज, परम्परा, आदत, रुचि, माप और तौल, बिक्री की शर्तों आदि के सम्बन्ध में अन्तर पाया जाता है। यातायात के साधनों की तीव्र गति होने के बाद भी लम्बी दूरी को तय करने में पर्याप्त समय लग जाता है। राष्ट्रीय व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माल भेजने में अधिक समय लगता है।

(4) विभिन्न राजनीतिक इकाइयाँ (Different Political Units)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न राजनीतिक इकाइयों के मध्य विनिमय-क्रिया होती है, जबकि आन्तरिक व्यापार में राजनीतिक इकाई एक ही होती है। वर्तमान में राष्ट्रवाद बहुत अधिक बढ़ने से प्रत्येक देश ऐसा काम करता है, जिससे अपने राष्ट्र का लाभ हो, चाहे अन्य देशों को उससे हानि ही क्यों न हो। संक्षेप में, प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों के हित को विश्व के नागरिकों की तुलना में अधिक महत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार एक देश में एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो विभिन्न देशों के शामिल होने के कारण विभिन्न कानून लागू होते हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करने वालों को न केवल अपने देश के कानूनों को जानना आवश्यक होता है, बल्कि दूसरे देश के कानून भी जानने होते हैं। न केवल विभिन्न देशों के कानूनों का ज्ञान होना पर्याप्त है, बल्कि यह भी जानना आवश्यक होता है कि ये कानून किस प्रकार कार्यशील होते हैं।

(5) विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ (Different Social and Trade Customs)—जिस प्रकार विभिन्न देशों की राजनीतिक इकाइयों के पृथक्-पृथक् होने से कानून भी अलग-अलग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक देश में सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ भी अलग-अलग होती हैं, बल्कि कभी-कभी एक-दूसरे के प्रतिकूल भी होती हैं परन्तु एक देश में साधारणतया सामाजिक और व्यापारिक रीतियाँ एक ही रहती हैं। सामाजिक और व्यापारिक रीतियों का प्रभाव भी व्यापार पर पड़ता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह आवश्यक होता है कि उन देशों की सामाजिक व व्यापारिक रीतियों एवं व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाये, जिनसे व्यापारिक सम्बन्ध बनता है। इसके बिना व्यापारिक सम्बन्धों को बनाये रखना कठिन होता है।

(6) व्यापार एवं विनिमय-नियन्त्रण (Trade and Exchange Control)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में

सभी देश अपने हितों को ध्यान में रखकर विनिमय एवं व्यापार-नियन्त्रण रखते हैं, परन्तु आन्तरिक व्यापार में विनिमय-नियन्त्रण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) मुद्रा प्रणाली में भिन्नता (Different in Monetary System)—विश्व के प्रत्येक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा से भिन्न होती है। उसका मूल्य भी प्रत्येक देश में अलग-अलग होता है। देश के भीतर लेन-देन का व्यवहार एक ही प्रकार की मुद्रा से किया जाता है, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्राएँ होती हैं। अधिक स्पष्ट शब्दों में, आन्तरिक व्यापार में केवल एक ही मुद्रा, अर्थात् आन्तरिक मुद्रा का प्रश्न उत्पन्न होता है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में दो मुद्राओं का प्रादुर्भाव होता है—आन्तरिक मुद्रा और बाह्य मुद्रा। इस प्रकार देश के भीतर व्यवसाय में विदेशी विनिमय, अर्थात् एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदलने की समस्या नहीं होती, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में इस समस्या का अधिक महत्व होता है।

(8) मौद्रिक संस्थाओं में अन्तर (Difference in Monetary Institutions)—जिस प्रकार विभिन्न देशों में मुद्रा प्रणाली में विभिन्नता पायी जाती है, उसी प्रकार विभिन्न देशों की मौद्रिक संस्थाओं और उनकी कार्य-प्रणाली में भी अन्तर होता है। कुछ देशों में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त के लिए अलग संस्थाएँ होती हैं, जैसे—अमेरिका और जापान में आयात-निर्यात बैंक। अन्य देशों को आन्तरिक वित्त प्रदान करने वाली मौद्रिक संस्थाएँ ही अन्तर्राष्ट्रीय वित्त का प्रबन्ध करती हैं। इन सभी मौद्रिक संस्थाओं की साख, रोजगार, कीमत, ब्याज-दर आदि नीतियों में अन्तर होता है तथा इनकी कार्य-पद्धति भी अलग-अलग होती है। इसके विपरीत, एक देश में व्यापार में सहायक मौद्रिक संस्थाओं की कार्य-पद्धति और नीतियाँ प्रायः समान होती हैं।

(9) परिवहन की समस्या में अन्तर (Difference in Transportation Problem)—आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिवहन की समस्या में भी अन्तर रहता है। आन्तरिक व्यापार में परिवहन की समस्या आसानी से हल हो जाती है क्योंकि एक देश के अन्दर सभी प्रकार के यातायात के साधन सुलभ होते हैं, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान्यतः माल जल या वायु परिवहन द्वारा जाता है। साथ ही लागत व जोखिम भी अधिक होती है। कई बार तो राजनीतिक कारणों से परिवहन की समस्या और बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ—नेपाल की सीमा भारत से लगी हुई है जो कि कृत्रिम है, अतः यदि भारत अनुमति न दे तो नेपाल विश्व के अन्य देशों से व्यापार नहीं कर सकता है, क्योंकि व्यापार की हर वस्तु भारत से होकर ही आ-जा सकती है।

(10) भुगतान की समस्या (Problem of Payment)—आन्तरिक व्यापार में क्रेता और विक्रेता के बीच भुगतान में सरलता होती है, क्योंकि लेन-देन मुद्रा में होता है। इसके विपरीत, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान की समस्या जटिल होती है, क्योंकि क्रेता और विक्रेता दोनों के देशों में अलग-अलग मुद्राएँ चलती हैं।

(11) व्यापार की शर्तें (Terms of Trade)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार की शर्तों में बहुत जल्द परिवर्तन होता है, जबकि आन्तरिक व्यापार में व्यापार की शर्तें प्रायः स्थिर रहती हैं।

(12) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विशिष्ट समस्याएँ (Specific Problems of International Trade)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान कुछ ऐसी विशिष्ट समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, जो कि आन्तरिक व्यापार में नहीं होतीं। उदाहरणार्थ—अन्तर्राष्ट्रीय तरलता, अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी का आवागमन, यूरो-डॉलर आदि समस्याएँ सम्पूर्ण विश्व की समस्याएँ हैं।

उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि आन्तरिक व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में पर्याप्त अन्तर है और इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का भी यही मत था परन्तु अनेक आधुनिक अर्थशास्त्रियों, जिनमें ओहलिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ने इस दृष्टिकोण का विरोध किया है। उनके मत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है। नीचे हम ओहलिन के इसी दृष्टिकोण की विवेचना कर रहे हैं।

ओहलिन का दृष्टिकोण अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है (Ohlin's View or There is no Need of a Separate Theory for International Trade)

आधुनिक अर्थशास्त्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक् सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते। प्रो. बर्टिल ओहलिन ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त की आवश्यकता को चुनौती दी है। उनका मत है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या के लिए भी वही सिद्धान्त लागू किया जा सकता है, जो अन्तर्देशीय व्यापार की

व्याख्या के साथ प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। उन्होंने कहा, "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार की केवल एक विशिष्ट अवस्था है।" (International trade is a special case of inter-regional trade.)

आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के पृथक् सिद्धान्त के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं—

(1) उत्पादन साधनों की गतिशीलता (Mobility of the Factors of Production)—उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, जिसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त बनाने का आधार बताया था, केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ही विशेषता नहीं है बल्कि एक ही देश के दो विभिन्न प्रदेशों के बीच देखी जा सकती है। देश के अन्दर भी उत्पादन के साधन पूर्णतया गतिशील नहीं होते और न ही साधन विभिन्न देशों के बीच पूर्णतया गतिशील होते हैं। जैसे एक ही देश में खेतों में काम करने वाले श्रमिक कारखानों में काम करने के लिए तैयार नहीं होते, भले ही उन्हें कारखानों में अधिक मजदूरी क्यों न मिलती हो। इसी प्रकार कारखाने के श्रमिक खेतों पर काम करने को तैयार नहीं होते, भले ही उन्हें अधिक मजदूरी वहाँ मिल सकती हो। इसी प्रकार उत्तरी भारत का श्रमिक दक्षिणी भारत में जाकर काम करने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता, क्योंकि भाषा-भेद, जाति-भेद, जलवायु-भेद आदि उसकी गतिशीलता में बाधा डालते हैं। ओहलिन के मतानुसार, बहुत-से कारणों से उत्पादन के साधन देश के अन्दर भी पूर्णरूपेण गतिशील नहीं होते। देश के विभिन्न भागों में मजदूरी, ब्याज आदि की दरों में भिन्नताएँ इस तथ्य के प्रमाण हैं कि देश के अन्दर भी उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं रहती।

(2) तुलनात्मक लागत (Comparative Cost)—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विशिष्टीकरण व श्रम-विभाजन के कारण प्राप्त होने वाला तुलनात्मक लागत का अन्तर है। ओहलिन का मत है कि तुलनात्मक लागत का यह अन्तर केवल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में न होकर अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार में भी होता है। अतः यदि श्रम-विभाजन एवं विशिष्टीकरण की यह प्रक्रिया देश की सीमा के अन्दर ही सीमित रह जाये, तो इससे अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का जन्म होगा। यदि विभिन्न देशों में तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशिष्टीकरण किया जाता है, तो इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है।

(3) उत्पादन परिस्थितियाँ (Production Conditions)—उत्पादन परिस्थितियों में पाये जाने वाले अन्तर भी आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भिन्नता का कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है। एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में ही उत्पादन की आधारभूत सुविधाओं में अत्यधिक अन्तर पाया जाता है। उत्पादन परिस्थितियों में भिन्नता दो देशों में ही नहीं, बल्कि एक देश के दो क्षेत्रों में भी हो सकती है।

(4) प्राकृतिक साधन तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ (Natural Resources and Geographical Conditions)—विश्व के बड़े देशों, जैसे—भारत, चीन, रूस इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक साधनों तथा भौगोलिक परिस्थितियों में सम्बन्धित भिन्नता होना एक सामान्य बात है। उदाहरण के लिए, राजस्थान की जलवायु में सूखापन है, जबकि असम की जलवायु में नमी है। इसलिए इस प्रकार की भिन्नता दो देशों में ही नहीं, बल्कि एक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी पायी जाती है।

(5) विभिन्न मुद्रा प्रणालियाँ (Different Currencies Systems)—विभिन्न देशों में विभिन्न मुद्रा प्रणालियों के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक पृथक् सिद्धान्त का औचित्य बताना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (I.M.F.) की स्थापना के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं रही है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विभिन्न देशों की मुद्राओं के विनिमय की सुविधाएँ तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान सुविधाएँ प्रदान किया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसलिए यह भिन्नता पृथक् सिद्धान्त का आधार नहीं बन सकती।

(6) आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध (Import and Export Restrictions)—विभिन्न देशों में आयात तथा निर्यात के प्रतिबन्ध कम होते जा रहे हैं। यूरोपियन के रूप में साझे बाजार की स्थापना इसका उदाहरण है। इन देशों में व्यापारिक प्रतिबन्ध धीरे-धीरे समाप्त किये जा रहे हैं। इसके विपरीत, एक ही देश में विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों में अनाज, चीनी, सीमेन्ट इत्यादि लाने-ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाते हैं। इसलिए यह तर्क भी पृथक् सिद्धान्त के लिए आधार नहीं हो सकता।


निष्कर्ष (Conclusion)—उपर्युक्त वर्णन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अन्तर्देशीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई मौलिक अन्तर नहीं है और जो कुछ अन्तर है, वह किस्म का नहीं बल्कि अंश का है। इसलिए जो सिद्धान्त अन्तर्देशीय व्यापार के विश्लेषण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, उसी को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विश्लेषण के लिए भी प्रयुक्त किया जाना चाहिए अर्थात् मूल्य सम्बन्धी जो सिद्धान्त एक देश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के अस्तित्व का विश्लेषण करता है, वही सिद्धान्त विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापार के अस्तित्व की व्याख्या कर सकता है। एजवर्थ (Edgeworth) का मत है कि “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी वही मौलिक सिद्धान्त लागू होता है, जो घरेलू व्यापार पर लागू होता है।” परन्तु विभिन्न देशों की सरकारों की विभिन्न नीतियाँ, मुद्रा प्रणाली के अन्तर तथा स्वदेशी की मनोवैज्ञानिक भावना के कारण अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अलग सिद्धान्त की आवश्यकता पड़ती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता/कारण/आधार (NEED/CAUSES/NECESSITY OF INTERNATIONAL BUSINESS)

रिचर्ड एस. लेफ्टविच के अनुसार, “अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के बीच उन्हीं कारणों से होता है जिसके कारण व्यक्तियों, समाजों तथा देश के भीतरी क्षेत्रों के मध्य व्यापार होता है। इसमें विनिमय करने वाले समस्त पक्ष लाभ की आशा करते हैं, परन्तु राष्ट्रों की सीमाओं व मुद्राओं की विभिन्नता के कारण विभिन्न देशों में समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है।”

हॉर्न एवं हेनरी के अनुसार, “इसमें भाग लेने वाले प्रत्येक देश को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती।” अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कई प्रकार की भौगोलिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों की देन है। वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रत्येक देश की अनिवार्यता बन गया। आधुनिक युग में यह असम्भव है कि वह दुनिया के अन्य राष्ट्रों से कटकर अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर ले। अमेरिका, फ्रांस, जापान, रूस आदि देशों की सम्पन्नता का मुख्य आधार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ही रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता (Necessity of International Business)



(अ) **भौगोलिक आवश्यकता (Geographical Need)**—प्रत्येक देश की भौगोलिक स्थिति, भूमि की बनावट, प्राकृतिक साधनों एवं जलवायु में एक-दूसरे से काफी अन्तर होता है, इनसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ता है—

(i) **भूमि एवं जलवायु (Land and Climate)**—देश की भूमि एवं जलवायु भी उसके अन्तर्राष्ट्रीय

व्यापार को प्रभावित करती है। कृषि प्रधान भूमि से कृषि उपज होती है। जैसे— भारत की जलवायु चाय, चावल आदि की खेती में अनुकूल है वैसे ही मिस्र में कपास ज्यादा उत्पन्न होती है। ठण्डी जलवायु वाला देश वस्त्रों का आयात करता है एवं गर्म जलवायु वाले देशों को ठण्डे पेय पदार्थों का आयात करना पड़ता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है।

(ii) प्राकृतिक सम्पदा (Natural Resources)—जिस देश में विपुल खनिज एवं वन-सम्पदा होती है वे विपुल साधनों के उत्पादनों को विदेशों में भेजकर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं और जिन देशों में इन साधनों का अभाव होता है, वे अपनी माँग आयातों से पूरी करने का प्रयास करते हैं। इससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

(iii) भौगोलिक स्थिति (Geographical Location)—जो देश अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों पर स्थित है, वे स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में लिप्त रहते हैं। उपयुक्त भौगोलिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण है।

(iv) भौगोलिक भिन्नताएँ (Geographical Differences)—अन्य भौगोलिक भिन्नताएँ भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती हैं।

(ब) आर्थिक आवश्यकता (Economic Need)—आर्थिक स्थिति में मुख्यतः पूँजी, श्रम, तकनीकी ज्ञान तथा उत्पत्ति के नियमों की क्रियाशीलता आती है।

(i) विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन (Specialization and Division of Labour)—विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन का भी लाभ प्राप्त होता है क्योंकि कम लागत पर अत्यधिक उत्पादन करना सरल हो जाता है जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलता है।

(ii) उत्पादन साधनों में कम गतिशीलता (Lack Mobility in Factor Productivity)—प्राकृतिक सम्पदा, भूमि एवं वातावरण में गतिहीनता होती है वहाँ श्रम एवं पूँजी में गतिशीलता सीमित होने से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है।

(iii) औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान में अन्तर (Differences Between Industrial and Technological knowledge)—कई देश अपने तकनीकी ज्ञान में निपुणता के चलते कई प्रकार की आधुनिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जबकि पिछड़े देश या अल्पज्ञानार्जन या औद्योगिक ज्ञान के अभाव वाले देश इनको खरीद कर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

(iv) आर्थिक संकटों में सहायता (Help in Economic Crises)—बाढ़, भूकम्प, अकाल, युद्ध अथवा आर्थिक संकट के समय सहायता लेने-देने में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार है। ये राष्ट्र आर्थिक संकट के समय सहायता करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाते हैं।

(v) तुलनात्मक लागतों में अन्तर (Differences in Comparative Costs)—प्रत्येक देश उन्हीं वस्तुओं का अधिक उत्पादन द्वारा निर्यात करके विदेशी मुद्रा को प्राप्त करता है एवं ऐसी वस्तुओं का आयात करता है जिसकी सापेक्षिक लागत अधिक होती है।

(vi) उच्च जीवन-स्तर की लालसा (Expectation of High living standard)—प्रत्येक देश अपने नागरिकों के जीवन-स्तर को बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास करता है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

(vii) विदेशी विनिमय अर्जन (Earnings from foreign Exchange)—विभिन्न राष्ट्र अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात कर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, उससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

(viii) उत्पादन आधिक्य का अभाव (Lack of Production Surplus)—उत्पादन आधिक्य होने पर निर्यात बढ़ाने का प्रयास होता है जबकि उत्पादन अभाव की स्थिति से आयातों का प्रयास किया जाता है। इससे भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है।

(स) राजनीतिक आवश्यकता (Political Need)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में राजनीतिक सम्बन्धों की आवश्यकता भी आवश्यक है।

(i) राजनीतिक प्रभुत्व की इच्छा—प्रत्येक राष्ट्र विभिन्न गुटों में बाँटा हुआ है एवं प्रत्येक गुट (पूँजीवादी, समाजवादी एवं गुट-निरपेक्ष) एक-दूसरे को अपने गुट में मिलाने के लिए तथा अपना राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने के लिए आयात-निर्यात का सहारा लेता है।

(ii) राजनीतिक मधुर सम्बन्ध (Good Political Relations)—बहुत से देशों में परस्पर मधुर राजनीतिक सम्बन्ध व्यापार को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजदूतों एवं अधिकारियों के आवागमन बढ़ने से व्यापारिक समझौते किए जाते हैं एवं देशों में विदेशी पूँजी का अर्जन होता है।

(iii) देश की सुरक्षा एवं सार्वभौमिकता (Security and Sovereignty of the Country)—देश अपनी राजनीतिक सुरक्षा एवं सार्वभौमिकता के लिए उन वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात-निर्यात करते हैं जो उनकी मदद करती हैं। युद्ध काल के दौरान मधुर सम्बन्ध के चलते ही उनको सेना से भी मदद मिलती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का महत्व

(IMPORTANCE OF INTERNATIONAL BUSINESS)

कोई देश अपने आपको आत्मनिर्भर नहीं कह सकता। एक देश दूसरे देश पर भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को मँगवाने के लिए निर्भर रहता है। इसी तरह कुछ वस्तुओं को विदेशों को भेजने की स्थिति में होता है। प्राकृतिक साधनों की स्थिति में विभिन्न देशों में समानता नहीं पाई जाती। किसी देश की जलवायु अच्छी है तो किसी देश की मिट्टी एवं कोई देश खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से खुशहाल। उदाहरण के लिए, इजिप्ट (Egypt) कपास पैदा कर सकता है, क्यूबा (Cuba) चीनी, जबकि USA एवं UK औद्योगिक उत्पादन। कुछ देश दूसरे देशों की तुलना में कम लागत पर किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इन लाभों के कारण विभिन्न देश विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय होने के कारण कोई भी देश किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त करने का प्रयास करता है और इस प्रकार एक देश जिसको वह तुलनात्मक कम लागत पर पैदा कर सकता है उसे विदेश में बेचता है और जिस वस्तु को उत्पादित करने में अपने आपको असमर्थ पाता है अथवा अधिक लागत पर उत्पादित करने की स्थिति में होता है उसे दूसरे देश से अपने देश में मँगवाता है।

संक्षेप में, हम अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से होने वाले लाभों को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं—

(1) तुलनात्मक लागत पर आधारित (Based on Comparative Cost Concept)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की पूरी कार्य-पद्धति तुलनात्मक लागत पर आधारित है अतः प्रत्येक देश इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने को निर्यातक देश की श्रेणी में रखना चाहता है।

(2) विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता (Provides Variety of Goods)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण देश के नागरिक उन वस्तुओं का भी बड़ी मात्रा में प्रयोग करना चाहते हैं जिन्हें वे उत्पादित करने की स्थिति में नहीं हैं। अरब देशों के नागरिक भारतीय विमानों के माध्यम से भारत के गुलाबों (Roses) का उपयोग अपने देश में कर सकते हैं और इस तरह देश के नागरिक उन वस्तुओं का उपयोग तो करते ही हैं जिन्हें उत्पादित करते हैं साथ ही उन वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं जिन्हें वे उत्पादित नहीं करते।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा एवं सार्वभौमिकता (Develop International Brotherhood and Universal Fraternity) — पिछले कुछ वर्षों में ऐसा महसूस किया गया है कि विश्व में देश एक-दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। आपसी भाईचारा एवं दोस्ती मजबूत हो रही है। आपसी समझ एवं सहायता आज के संसार की दर्शन (Philosophy) बन चुकी है। जिससे सम्पूर्ण विश्व सिमट कर रह गया है।

(4) वैज्ञानिक अनुसन्धान का विकास (Development of Scientific Research)—अत्यधिक उत्पादन एवं उत्पादन की अधिकता समय की माँग है। इस कारण इस उद्देश्य की सफलता के लिए नई प्रौद्योगिकी (Technology) के विकास की आवश्यकता है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उद्योग अनुसन्धान (Research) एवं विकास (Development) की तरफ अधिक ध्यान दें तथा इसे परिणाम घोषक (Result oriented) बनायें।

(5) प्राकृतिक सम्पदा का अधिकतम उपयोग (Maximum Utilisation of Natural Resources)—प्रत्येक देश को अपनी प्राकृतिक सम्पदा का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। भूमि, नदियाँ, जल, मिट्टी, वन एवं खनिजों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए ताकि उत्पादन अत्यधिक हो और हम इसका निर्यात करके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को आयात कर सकें।

(6) उच्च जीवन-स्तर (Higher Standard of Living)—आयात और निर्यात के कारण देश की आय में वृद्धि एवं लोगों के जीवन-स्तर में वृद्धि होगी।

(7) सेवा-क्षेत्र का भी विकास (Service Sector also Develops)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय बढ़ने के कारण सेवा-क्षेत्र एवं आवश्यक क्रियाओं; जैसे-बैंक, बीमा, सड़कें, बन्दरगाह, दूरभाष, बिजली, रेलवे इत्यादि का भी विकास होगा।

(8) प्राकृतिक आपदाओं के समय विश्व की मदद (World Helps during Natural Disasters)—यदि देश में सूखा पड़ा है, भूकम्प आया है, कृषि पदार्थों का विनाश हुआ है, बाढ़ अथवा कोई अन्य प्राकृतिक विपत्ति आई है तो ऐसे समय में संसार के देश मदद के लिए तुरन्त आगे आ जाते हैं।

(9) उत्पादन के साधनों की गतिशीलता (Mobility of Factor of Production)—क्योंकि उत्पादन को अधिकतम करना है अतः भिन्न-भिन्न क्रियाओं में पारस्परिक समन्वय एवं उनका अधिकतम उपयोग आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले तकनीकी व्यक्तियों को; जैसे- CA, MBA, एवं Computer Experts इत्यादि को अपने देश में दूसरे देशों से बुलाकर उनका लाभ उठाना होगा। साधनों की गतिशीलता दोनों पक्षों का लाभ होगा।

(10) उच्च तकनीकी सुधार (Improvement in High-tech)—विदेशी बाजारों के लिए देश व्यापारिक इकाइयों व फर्मों को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करना होगा। इसके लिए उच्च तकनीक को अपनाकर उत्तम गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन करना होगा।

(11) कीमतों में स्थिरता (Price Stability)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के होने के कारण माँग एवं पूर्ति की शक्तियों में सन्तुलन रखा जा सकता है और सम्पूर्ण विश्व में वस्तुओं के मूल्यों में एकरूपता लाने का प्रयास किया जा सकता है।

(12) एकाधिकार पर लगाम (Check on Monopoly)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण एकाधिकार पर लगाम कसी जा सकती है। एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आवश्यकता के समय वस्तुओं का आयात किया जा सकता है।

(13) विकासशील देशों के लिए अपरिहार्य (Unavoidable for the Developing Countries)—भारत जैसे विकासशील देश के लिए जो आर्थिक एवं औद्योगिक विकास करने को प्रयासरत है अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उत्पादन माल का आयात जैसे—मशीनरी एवं संयन्त्र, साज-सामान एवं हिस्से (Parts), प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिकी एवं औद्योगिकी ज्ञान देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं विदेशों को निर्यात करने के लिए आवश्यक होता है।

(14) राष्ट्र का पूर्ण एवं सन्तुलित विकास (Full and Balanced development of the Nation)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय राष्ट्र के सन्तुलित विकास के लिए परम आवश्यक है। विकास केवल कृषि एवं औद्योगिक विकास तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए वरन् सामाजिक, शैक्षिक एवं प्रौद्योगिकी का भी विकास होना चाहिए। इस तरह देश का सर्वांगीण विकास होना चाहिए जिसकी देश अपेक्षा करता है।

(15) रोजगार में वृद्धि (Employment Growth)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय देश के अन्तर्गत उत्पादन क्रियाओं में अभिवृद्धि करता है। उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु फर्मों को अधिक लोगों की आवश्यकता होती है जिसके परिणामस्वरूप देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ अथवा गुण

(ADVANTAGES OR MERITS OF INTERNATIONAL BUSINESS)

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से आयात और निर्यात करने वाले देश को निम्नलिखित लाभ होते हैं—

(1) विदेशी मुद्रा की प्राप्ति (Getting Foreign Exchange)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है जिससे किसी देश की क्रय-शक्ति बढ़ती है। आज अमेरिका विश्व का सबसे सम्पन्न देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि अमेरिका ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को इतना विकसित कर लिया है कि उसके पास बहुत अधिक मात्रा में सोना एकत्रित हो गया। प्रत्यक्ष रूप से यह अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का ही योगदान है।

(2) संकटकालीन सहायता (Crisis Carpet Aid)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय द्वारा संकटकालीन परिस्थितियों में; जैसे—अकाल, भूचाल, बाढ़ व युद्ध आदि में आवश्यक वस्तुएँ आयात के द्वारा मँगाकर रक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए—बांग्लादेश में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा आदि देशों से अनाज का आयात करके खाद्यान्न समस्या के संकट से मुक्ति प्राप्त की गई थी।

2020-21-326-1-38

(3) श्रम-विभाजन (Division of Labour)—सब देशों में अलग-अलग उत्पादन होने के कारण प्रत्येक देश को उद्योग-धन्धों का श्रम-विभाजन, वैज्ञानिकीकरण और विशिष्टीकरण का अवसर मिलता है जिसके परिणामस्वरूप सस्ता व अच्छी किस्म का माल तैयार करने में आसानी रहती है।

(4) उपभोक्ताओं को लाभ (Benefits to Consumers)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से प्रत्येक देश के उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुँचता है, क्योंकि अब उनको अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्रचुर मात्रा में सस्ते मूल्य पर अच्छी किस्म में व जिस समय उन्हें चाहिए, प्राप्त हो सकती हैं। इससे उनके जीवन-स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है।

(5) राष्ट्रीय आय में वृद्धि (Increase in National Income)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में आयात-निर्यात कर (Import and Export Duty) के रूप में सरकार की आय में बढ़ोत्तरी होती है। इसी साधन से सरकार को करोड़ों रुपये साल की आमदनी होती है जिससे राष्ट्रीय विकास की अनेक योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं।

(6) सांस्कृतिक विकास (Cultural Development)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के माध्यम से ही एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों की सभ्यता, संस्कृति, कला आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका आपस में आदान-प्रदान किया जाता है और उनके आचार-विचार, खान-पान व पहनावे आदि को अपनाया जा सकता है जिससे सारा विश्व एक परिवार-सा बन जाता है।

(7) औद्योगीकरण को प्रोत्साहन (Encouragement to Industrialisation)—देश की औद्योगिक प्रगति भी विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की सहायता से कच्चा माल, मशीनरी तथा तकनीकी ज्ञान का आयात करके देश के औद्योगीकरण को बढ़ाया जा सकता है।

(8) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (International Co-operation)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से प्रत्येक देश के उपभोक्ताओं को भी लाभ पहुँचता है क्योंकि अब उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ मिल जाती हैं तथा राष्ट्रों की एक-दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है तथा एक-दूसरे देश के प्रति विश्वास, सद्भावना व भाईचारे को बढ़ावा मिलता है जो अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बनाये रखने में भी योगदान देता है।

(9) अतिरिक्त उत्पादन का निर्यात (Export of Excess Production)—हर देश उसी वस्तु को अपने यहाँ अधिक-से-अधिक बनाता है, जिस वस्तु के बनाने में उसे कुशलता प्राप्त है। अतः अपने देश के अधिक उत्पादन को दूसरे देशों में आसानी से भेजा जा सकता है, जिसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ दूसरे देशों से माँगवाई जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की सहायता से एक देश ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर सकता है जिसका बनाया जाना उस देश में बिल्कुल असम्भव है।

(10) अधिक लाभ (More Profit)—देशी व्यापार की अपेक्षा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है। व्यापार क्षेत्र में वृद्धि हो जाने के कारण लाभ की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं क्योंकि व्यापारी अपने माल को वहाँ बेचना चाहेगा जहाँ अधिकतम लाभ प्राप्त हो।

(11) सभी प्रकार की वस्तुओं की प्राप्ति (Availability of all types of Goods)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय द्वारा उन सभी वस्तुओं को सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है जिनका उत्पादन अपने देश में नहीं होता या बहुत कम होता है।

(12) अन्य (Others)—उपर्युक्त लाभों के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कुछ और भी लाभ हैं; जैसे—जीवन-स्तर में वृद्धि, व्यापारिक शिक्षा की सुरक्षा, राजनैतिक विचारों का प्रचार, उत्पादन प्रणाली में सुधार, एकाधिकार का हनन आदि।

निष्कर्ष—उपर्युक्त लाभों से यह स्पष्ट है कि विश्व के लिए वर्तमान युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का बहुत महत्व है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के दोष अथवा अवगुण

(DISADVANTAGES OR DEMERITS OF INTERNATIONAL BUSINESS)

यद्यपि आधुनिक प्रगति के युग में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय का बहुत बड़ा स्थान है और कोई भी देश चाहे वह कितना ही धनवान एवं शक्तिशाली क्यों न हो, विदेशों से वस्तुएँ आयात किये बिना सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। लेकिन यह डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में अग्रलिखित ऐसे दोष हैं जिन्हें ठपकाया नहीं जा सकता—

(1) पारस्परिक निर्भरता (Mutual Dependence)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सभी देशों द्वारा एक-दूसरे पर निर्भर होने के कारण कई बार युद्ध के समय बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(2) शोषण (Exploitation)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की सुविधाएँ सुलभ होने के कारण सब देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं। आजकल कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ अपने यहाँ तैयार करता हो। इस प्रकार प्रगतिशील देश पिछड़े देशों का शोषण करते हैं। ईस्ट इण्डिया कम्पनी इसका ज्वलन्त उदाहरण है। इस कम्पनी की स्थापना भारत में व्यापार करने के लिए हुई थी, लेकिन व्यापार के बहाने धीरे-धीरे इस कम्पनी ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था।

(3) विदेशी प्रतियोगिता (Foreign Competition)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अन्तर्गत एक देश को दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। एक अर्द्धविकसित देश अपने आपको उन्नत नहीं बना सकता। विदेशी वस्तुएँ सस्ती व अच्छी किस्म की मिलेंगी तो वहाँ के निवासी स्वदेशी वस्तुओं की अपेक्षा विदेशी वस्तुओं को महत्व देंगे। इस प्रकार उनके अपने उद्योग-धन्धे विकसित नहीं हो सकेंगे।

(4) अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव (Bad Effects on Economy)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण एक-दूसरे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। यदि देश में वस्तुएँ महँगी या सस्ती हो जाती हैं तो इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी अवश्य पड़ता है। यदि किसी एक देश में मन्दी (Depression) आती है तो अन्य देश भी इसके प्रभावों से बच नहीं सकते। 1929-30 में जो मन्दी अमेरिका में आई थी उसने विश्व के समस्त देशों को अपने जाल में फँसा लिया था।

(5) देश में वस्तुओं का अभाव (Shortage of Goods in the Country)—कभी-कभी व्यापारी वर्ग अधिक लाभ के लालच में देश की आन्तरिक माँग को पूरा किए बिना ही वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दे देते हैं जिससे अपने देश में उन वस्तुओं का अभाव हो जाता है। उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं के प्रयोग से वंचित रखा जाता है या अधिक मूल्य वसूल किये जाते हैं।

(6) कृषि-प्रधान देशों को हानि (Loss to Agricultural Countries)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से कृषि-प्रधान देश को हानि होती है क्योंकि कृषि में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है तथा उद्योग-प्रधान देश को लाभ होता है क्योंकि उद्योगों में क्रमागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) लागू होता है।

(7) राशिपातन की आशंका (Fear of Dumping)—धनी देश निर्धन देशों में अपनी निर्मित वस्तुओं को लागत से भी कम मूल्य पर बेचने लगते हैं जिससे वहाँ के उद्योग समाप्त हो जाते हैं। अपने लक्ष्य को पूरा करके धनी देश फिर ऊँचे मूल्यों पर वस्तुएँ बेचने लगते हैं।

(8) अप्रिय फैशनों का प्रचार (Publicity of Uncommon Fashions)—यह मानव स्वभाव है कि वह अच्छाई की अपेक्षा बुराई की ओर शीघ्र अग्रसर हो जाता है तथा बहुत-सी वस्तुओं का प्रयोग हमारे देश की जलवायु, रीति-रिवाज, वातावरण, संस्कृति आदि के अनुकूल नहीं होता, लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के कारण देश के अन्दर अप्रिय फैशनों का प्रचार बढ़ता है। आज भी देश में पाश्चात्य सभ्यता की गहरी छाप पड़ी हुई है।

(9) उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन (Incentive to Colonization)—अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से उपनिवेशवाद को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि विकसित देश सदैव यही चाहते हैं कि अविकसित देशों को सदैव अपने कब्जे में रखें। इससे उपनिवेशवाद का जन्म होता है और अविकसित देश सदा के लिए दासता की बेड़ियों में जकड़ जाते हैं।

(10) युद्धकाल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय को हानि (Loss of Foreign Trade in War Time)—युद्ध काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय से सम्बन्धित देशों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि तब दूसरे देशों से आयात बन्द हो जाता है।